9/5/16

पत्रावली पेश हो आवेदक उपस्थित अनावेदक को अधिवक्ता उपस्थित। आवेदन अन्तर्गत धारा 10 CPC पर सुनवाई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 6/5/16 को पेश हो।

6/5/16

पत्रावली पेश हो। आवेदन अन्तर्गत धारा 10 CPC पर निर्णय अलग से लिखा गया। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 20/5/16 को पेश हो।

6/5/16

9/5/16

[illegible] यह पत्रावली [illegible] अदालत कैम्प में पेश
उभय पक्ष उपस्थित नहीं पत्रावली आईंदा
दिनांक 20.7.16 को पेश हो

प्रभारी अधिकारी
(SDO)
राजस्व लोक अदालत अभियान
कैम्प [illegible]
दिनांक 9/5/16

27/4/18 पत्रावली पेश हो। आवेदक [illegible] अनावेदक उपस्थित नहीं। [illegible] पत्रावली [illegible]

Not Pressed

(6)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सीन अधिकारी :– राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

न संख्या :– 176/2013

बाबत :– अंतर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए

ान :– राजेन्द्र कुमार आदि बनाम विष्णु भगवान आदि

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी

स्थित :–

श्री रामकुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण (वादीगण)

निर्णय दिनांक : 6/5/2016

उक्त अनवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए के तहत इस न्यायालय में संक्षेप में इस गर पेश किया कि नानूराम पुत्र मघाराम जाति जाट ज्याणी निवासी श्रीनगर तहसील हनुमानगढ़ के नाम के चक 6 एसएमएम प.न. 107/282 मु.न. 65 कि.न. 7, 8, 9, 11 ता 14, 17 ता 24 प.न. 107/283 मु.न. कि.न. 1 ता 4, 7 ता 14, 20 व चक 4 एसएनएम प.न. 106/282 मु.न. 39 कि.न. 15, 16, 25/2 मे 0. 7 है0 कुल तादादी दोनो चको की 7.715 है0 मय गै.मु. खातेदारी भूमि थी। जो नानूराम की अकेले की ातेदारी भूमि थी। नानूराम ने उक्त भूमि मे से वाके चक 6 एसएनएम प.न. 107/282 मु.न. 65 कि.न. 9, 1, 12, 19 ता 22 तथा चक 4 एसएनएम प.न. 106/282 मु.न. 39 कि.न. 15, 16, 25/2 मे 0.127 कुल दादी 2.403 है0 जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 27.10.83 को वादी को बैय कर मौका पर कब्जा सम्भला या था, चक 6 एसएनएम प.न. 107/283 प.न. 66 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 20 कुल 1.771 है0 भूमि जरिये जि0 बैयनामा दिनांक 27.10.83 को बैय कर मौका पर कब्जा सम्भला दिया परन्तु उक्त बैयनामो का इंतकाल करते वक्त सहबन व विधि विरूद्ध संयुक्त खाता मे अंकन कर दिया जबकि वादीगण का कब्जा काश्त ुताबिक खरीद लगातार चला आ रहा है। वादीगण मुताबिक खरीद अपना खाता अलग करवा उसी अनुसार कमराज कायम करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि बाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि ुताबिक खरीद वादीगण का खाता तकसीम कर खाता अलग से कायम किया जावे तथा इसी प्रकार से कमराज अलग कायम की जावें एवं विवादित भूमि वाके चक 6 एसएनएम प.न. 107/282 मु.न. 65 कि.न. 9, 11, 12, 19 ता 22 तथा चक 4 एसएनएम प.न. 106/282 मु.न. 39 कि.न. 15, 16, 25/2 मे 0.127 कुल तदादी 2.403 है0 व चक 6 एसएनएम प.न. 107/283 प.न. 66 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 20 कुल 1.771 है0 भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया।

उक्त अनवानी प्रकरण मे प्रार्थी की ओर से श्री रामकुमार गोदारा विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल किया गया।

उक्त आवेदन में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादिया के पिता स्व. भगतराम द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित की गई है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा स्व. भगतराम द्वारा अपने जीवनकाल मे वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण व स्वयं की पत्नि के नाम से काफी चल व अचल सम्पति अर्जित की गई थी। वादीगण ने अपने आपको वादग्रस्त भूमि का खरीददार मानते हुए खाता विभाजन एवं घोषणा का अनुतोष की मांग करते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जबकि इसी कृषि भूमि के संबंध मे प्रतिवादी विभोर ने एक अन्य वाद इसी अदालत मे प्रस्तुत करते हुए स्व. भगतराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 06.08.99 के आधार पर अपने आपको वादग्रस्त भूमि का मालिक मानते हुए घोषणा एवं विभाजन का वाद अनवानी विभोर मित्तल बनाम विष्णु भगवान प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। प्रतिवादिया ने स्व. भगतराम द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से अर्जित भूमि एवं अन्य समस्त सम्पति को शामिल करते हुए एक वाद अनवानी मन्जू अग्रवाल बनाम विष्णु भगवान आदि जिसमे वादीगण भी बतौर प्रतिवादीगण सं. 2, 3 शामिल है, प्रस्तुत किया हुआ है। प्रतिवादीया ने अपने आपको संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने के नाते अपना 1/7 हिस्सा की घोषणा बाबत प्रस्तुत यिका हुआ है। जिसमे समस्त सम्पति जिसमे वादग्रस्त भूमि भी शामिल है। इसलिए समान सम्पति की सिवत समान वाद कारण एवं समान पक्षकारान के मध्य दो वाद विभिन्न न्यायालय मे नही चल सकते। इन परिस्थितियों मे मौजूदा वाद जो प्रतिवादिया द्वारा दायर दीवानी वाद अनवानी मन्जू अग्रवाल बनाम विष्णु भगवान वाद सं. 26/2013 के बाद का है, चलने योग्य नही है और उसकी कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है। दीवानी वाद के निर्णयानुसार ही मौजूदा वाद का निर्णय सम्भव हो सकेगा। अन्यथा अलग अलग वाद होने से विरोधाभाषी निर्णय होने की सम्भावना है, जिससे पक्षकारान मे वाद विविधता बढेगी। इसलिए वादीगण का मौजूदा वाद धारा 10 जाब्जा दीवानी के अन्तर्गत स्थगित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों मे वादीगण का वाद दीवनी वाद अनवानी मन्जू अग्रवाल वादिया बनाम विष्णु भगवान वाद सं. 85/2013 अदालत अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 हनुमानगढ़ के निर्णय तक स्थगित किया जावें।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदन मे निवेदन किया गया कि ा पत्र कतई गलत, मिथ्यारचित व आधारहीन होने के कारण स्वीकार नही है। दावा हाजा मे विवादित हम अप्रार्थीगण की स्वयं पैदाकरदा व खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। अतः वादीगण द्वारा अपनी शुदा खातेदारी भूमि के खाता विभाजन बेदखली हेतु दावा हाजा प्रस्तुत किया है तथा अदालत हाजा मे र जो विष्णु भगवान का पुत्र है, के द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमे प्रतिवादी विष्णु ान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी सिविल न्यायालय मे दायरदावा के आधार पर प्रस्तुत ा था जो अदालत हाजा द्वारा निरस्त फरमाया गया। जिसके विरूद्ध विष्णु भगवान ने माननीय राजस्व ल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की थी, जो बाद सुनवाई खारिज फरमाई गई तथा विभोर बनाम विष्णु ान मे स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आज भी लम्बित है। दावा हाजा मे विवादित भूमि गण की खरीदशुदा भूमि है। जो वादीगण की स्वयं पैदा करदा भूमि होने के कारण अन्य किसी का ो भी प्रकार का हक व हिस्सा नही है तथा दावा हाजा कृषि भूमि से संबंधित होने व खाता विभाजन व बली का होने के कारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र त कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

आवेदन अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद ी वाद अनवानी मन्जू अग्रवाल वादिया बनाम विष्णु भगवान वाद सं. 85/2013 अदालत अपर जिला ाधीश सं. 2 हनुमानगढ़ के निर्णय तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया तथा 2009 (2) RRT 978, S.B. Writ Petition No. 518 of 2008 रूलिंग पेश की।

अप्रार्थीगण (वादीगण) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब आवेदन मे वर्णित तथ्यों को ाते हुए आवेदन प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों का मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, आवेदन एवं जवाब आवेदन का अवलोकन ा गया। चूंकि प्रकरण मे वर्णित विवादित भूमि अप्रार्थीगण (वादीगण) की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। गण द्वारा अपनी खरीदशुदा खातेदारी भूमि के खाता विभाजन बेदखली हेतु हस्तगत वाद हाजा न्यायालय स्तुत किया गया है तथा खाता विभाजन एवं बेदखली व्यादेश मे सुनवाई का अधिकार हाजा न्यायालय है। अदालत हाजा मे विभोर जो विष्णु भगवान का पुत्र है, के द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है, मे प्रतिवादी विष्णु भगवान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी सिविल न्यायालय मे दायरदावा के ार पर प्रस्तुत किया था जो अदालत हाजा द्वारा निरस्त फरमाया गया। जिसके विरूद्ध विष्णु भगवान ने नीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की थी, जो बाद सुनवाई खारिज फरमाई गई तथा विभोर म विष्णु भगवान मे स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आज भी लम्बित है। इस प्रकार गिण के आवेदन के आधार पर हस्तगत वाद मे कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित नही है। अतः गिण का आवेदन खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6/5/16 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner